फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गणेशलाल | **विपक्षी : श्रीमती संतोष**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 122/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.06.2023

पत्रावली प्रशासन गांवा के संग अभियान–2023 कैम्प बोयणा में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका हैं। अतः मूल वाद में बंटवाडा होकर अन्तिम डिक्री जारी होने तक उभय पक्ष को मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा आसोलिया की मादडी पटवार हल्का बोयणा की आराजी न. 1433/329 किता 1 रकबा 1.1655 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:11:20 IST
Reason: SelfAttested